

//सूचना पत्र //

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चांपा की स्थापना में

1. स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के 1 पद,
2. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के 12 पद,
3. सहायक ग्रेड-3 के 20 पद,
4. वाहन चालक के 2 पद
5. आकस्मिक निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद 14 पद,
6. कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) (संविदा) के 1 पद,
लिपिक कलर्क (संविदा) के 1 पद
चपरासी (प्यून) (संविदा) के 1 पद

की भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक 1232/दो-12-2023, जांजगीर दिनांक 13-07-2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2023 तक आमंत्रित किये गये थे। जिसके तारतम्य में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन होने से संशोधित सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक 692/दो-12-2023, जांजगीर दिनांक 24-04-2024 इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है, विज्ञापन के अंत में संलग्न महत्वपूर्ण निर्देश का आवश्यक रूप से अवलोकन अभ्यर्थी करें। यदि अभ्यर्थी, इस तथ्य से संतुष्ट है कि संशोधित विज्ञापन में दिये गये शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं और उक्त संबंध में वांछित दस्तावेज उनके आवेदन के साथ संलग्न है तो पृथक से आवेदन पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।



अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति
जिला न्यायालय
जांजगीर-चांपा

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

// संशोधित सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

विज्ञापन क्रमांक 692/दो-12-1/2023,

जांजगीर, दिनांक 24/04/2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि -

15/05/2024 संध्या-05:00 बजे

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़) स्थापना के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर(हिन्दी), सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जुनियर नायब नाजिर, सेल अमीन), आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर), वाहन चालक एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क), चपरासी (प्यून) के निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व विज्ञापन के अंत में संलग्न महत्वपूर्ण निर्देश का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद												
							अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	मू०पू०स०	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मू०पू०स०	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मू०पू०स०	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मू०पू०स०	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
तृतीय श्रेणी पद																			
1	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	1	1	
2	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	12	3	1	.	1	1	.	.	.	3	1	.	.	2	.	.	.	
3	सहायक ग्रेड-3 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/सहायक प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन)	20	5	2	.	3	1	.	.	1	3	1	1	1	1	.	.	1	
चतुर्थ श्रेणी पद																			
4	वाहन चालक	2	1	1	.	.	.	
आकस्मिक निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी																			
5	चौकीदार(8 पद) जलवाहक (3 पद) स्वीपर(3 पद)	14	5	2	.	.	2	.	.	.	3	.	.	.	2	.	.	.	
कोर्ट मैनेजर अमला हेतु																			
क.	पद नाम	आरक्षित/ अनारक्षित	पद संख्या	पद का प्रकार (स्थायी/अस्थायी)	एक मुश्त प्रतिमाह वेतन														
6	शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) (संविदा)	अनारक्षित	1	अस्थायी(संविदा)	26,490/-														
7	लिपिक (क्लर्क) (संविदा)	अनारक्षित	1	अस्थायी(संविदा)	18,000/-														
8	चपरासी (प्यून) (संविदा)	अनारक्षित	1	अस्थायी(संविदा)	14,400/-														

महत्वपूर्ण टीप:-

1. पदों की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है ।
2. जिस श्रेणी में महिला एवं दिव्यांग के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा ।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है, अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे ।
4. महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू है ।
5. भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा ।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए

(अ) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (28700-91300)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण ।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान ।
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी ।
5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए ।

(2) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) पद के लिए

(अ) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (28700-91300)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण ।
3. कम्प्यूटर में अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान ।
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी ।
5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए ।

(3) सहायक ग्रेड-03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायब नाजीर, सेलअमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल) के लिए :-

(अ) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (19500-62000)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण ।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान ।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए ।

(4) वाहन चालक पद के लिए -

(अ) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (19500-62000)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. परिवहन/कॉमर्शियल वाहन चालक की वैद्य अनुज्ञप्ति (लायसेंस) धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. स्वस्थ होना चाहिए।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
टिप्पणी- उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो कि किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हो, उससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर।

कोर्ट मैनेजर स्टॉफ हेतु पद के लिये-

(5) शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) (संविदा) कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिए -

(अ) वेतनमान :- मासिक संविदा वेतन रु. 26490/- मात्र।

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी।
5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

(6) लिपिक क्लर्क (संविदा) कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिए -

(अ) वेतनमान :- मासिक संविदा वेतन रु. 18000/- मात्र।

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

(7) चपरासी (प्यून) (संविदा) कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिए -

(अ) वेतनमान :- मासिक संविदा वेतन रु. 14400/- मात्र।

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात् कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो।
2. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

(8) आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर) पद के लिए -

(अ) वेतनमान :- कलेक्टर जांजगीर द्वारा निर्धारित दर पर।

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात् कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो।
2. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

A- सीधी भर्ती हेतु पात्रता-

- 1- वह भारत का नागरिक हो,
- 2- उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परन्तु शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की है,
- 3- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्गों के सदस्यों हेतु उच्चतर आयु सीमा शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शिथिलनीय होगी,
- 4- विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा, महिला अभ्यर्थियों भी उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी,

स्पष्टीकरण- किसी महिला को निराश्रित माना जाएगा यदि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है तथा उसका पति तथा उसके अभिभावक उसकी वित्तीय सहायता नहीं करते अथवा जिसके पास आय का कोई स्रोत है परन्तु उसकी आय राज्य शासन द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक नहीं है।

- 5- सरकारी नीतियों के अनुसार परिवर्तन के अध्यक्षीन शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगा जो छत्तीसगढ़ शासन अथवा छत्तीसगढ़ के स्वामित्व के मण्डल व निगम के स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं,
- 6- "दिव्यांग" अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार होगी।
परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा सभी वर्गों से सभी शिथिलताओं को सम्मिलित करते हुये भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

B- सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ता

- 1- कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।
- 2- कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नीधरिता जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
- 3- कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो।

परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्यक्षीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

- 4- अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।
- 5- कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि:-
 - a) वह किसी विधि- विरुद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है।

अथवा

- b) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ है-

1. जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो,
2. जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुये विधि का संगठित उल्लेख अथवा विधि का विरोध करना हो,
3. जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हो,

अथवा

4. नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो,

अथवा

- c) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुये भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च न्यायालय के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।

अथवा

- d) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य सेवा आयोग अथवा किसी न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरर्हित किया गया हो,

अथवा

- e) जो नैतिक अद्यामता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्धि ठहराया जा चुका हो।

आयु सीमा

उच्चतम आयु सीमा में छूट:-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी -

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।
2. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ०प्र० दिनांक 20-01-1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
3. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी ध्वर्कचार्ज या कंटीन्जेसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयुसीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
स्पष्टीकरण- छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।
5. ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02-06-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
7. स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।
8. (1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
(2)- विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 01-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
(3) उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-10/2004/1-9 दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
टीप -बिन्दु क्रमांक 1 से 8 अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
9. बिंदु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।
उदाहरण - यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य-पिछड़ा-वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

पात्रता की अन्य शर्तें

1. रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी।
2. (अ) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(ब) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
3. प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01-01-2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीयधूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी

- गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही विचारित किया जावेगा।
 6. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29-06-2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।
 7. महिलाओं नियमानुसार होरिजॉटल आरक्षण दिया जावेगा। लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
 8. यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
 9. परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर उसे आगे केवल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकेंगी।
 10. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।
 11. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी (जैसे पात्र/अपात्र सूची, रोल नम्बर, प्रवेश पत्र, सूचना पत्र इत्यादि) वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/janjgir> पर समय-समय पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जावेगी। जिला न्यायालय जांजगीर के सूचना बोर्ड पर भी सूचना चरपा की जावेगी। प्राप्त आवेदनपत्रों की छंटवाई (Short&listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी/सब कमेटी द्वारा निर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा।
 12. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया संबंधी सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो, उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और दिये गये वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

13. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
14. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
15. अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा (जो भी लागू हो) में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित भर्ती कमेटी/ सब कमेटी तय करेगी।
16. अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेंगी।
17. अपरिहार्य कारणों से किसी भी चरण की घोषित परीक्षा निरस्त की जा सकेंगी।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में "आवेदित पद का नाम के पद हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो, कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़), पिन कोड नंबर 495668 के पते पर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा अंतिम तिथि दिनांक 15.05.2024 संध्या 05:00 के पूर्व भेजे जा सकेंगे अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर की वेबसाइट <https://districts-ecourts-gov-in/janjgir> से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।
2. डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि, वे आवेदन में चस्पा नवीनतम फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रतियां भी रखें। प्रवेश पत्र में आवेदन पत्र में चस्पा फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रति को ही चस्पा करें। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में चस्पा फोटो में भिन्नता पाये जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठन से वंचित किया जा सकता है।
4. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई-स्कूल/हायर-सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।
6. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन

प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी । अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी । त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन की किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा ।
9. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे जिस पर रु 5-5 (पांच-पांच रुपये) का टिकट चस्पा हो आवश्यक रूप से संलग्न करें, यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना यदि डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो, सेचना प्राप्त नहीं होने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा, इसकी जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी ।
10. स्टेनोग्राफर(अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर(हिन्दी), सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जुनियर नायब नाजिर, सेल अमीन), वाहन चालक एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क), चपरासी (प्यून) के एक से अधिक या सभी पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
(सहायक ग्रेड- 03 के साक्ष्य-लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जुनियर नायब नाजिर, सेल अमीन उक्त सभी पद पृथक-पृथक न होकर एक ही समकक्ष पद है। जिसके लिये एक ही आवेदन देना होगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा सहायक ग्रेड 3 के पद के लिये एक से अधिक आवेदन पेश कर दिया जाता है और त्रुटिवश पृथक-पृथक प्रवेश पत्र जारी हो जाता है तो, यह जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी कि, वे एक ही पद के लिये दो बार कौशल परीक्षा में सम्मिलित न हो। कौशल परीक्षा में दो बार सम्मिलित होने की दशा में उम्मीदवार को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा और उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी।
11. आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी हेतु विज्ञापित जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर के अलग अलग पद है प्रत्येक पद हेतु अभ्यर्थी को पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, एक ही आवेदन पत्र में दो या दो से अधिक पद का नाम उल्लेखित होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा ।
12. पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 1232/दो-12-2023, जांजगीर दिनांक 13-07-2023 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17-08-2023 था जिसके संदर्भ में प्राप्त सभी आवेदन मान्य होंगे, किन्तु विज्ञापन क्रमांक 1232/दो-12-2023, जांजगीर दिनांक 13-07-2023 के पूर्व प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।
अर्थात् विज्ञापन क्रमांक 1232/दो-12-2023, जांजगीर दिनांक 13-07-2023 (आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17-08-2023) के पालन में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उन अभ्यर्थियों को पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। (इस संबंध में विस्तृत निर्देश विज्ञापन अंत में पृथक से महत्वपूर्ण निर्देश संलग्न है जिसका अवलोकन अभ्यर्थी कर सकते हैं)
13. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण से संबंधित सूचना यदि, डाक के माध्यम भेजा जाता है तो निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो जिला न्यायालय जांजगीर की वेबसाइट <https://districts-ecourts-gov-in/janjgir> पर अपलोड किये गये सूचना के आधार पर अभ्यर्थी उपस्थित हो सकेगा। किसी भी चरण में उपस्थित होने पर अभ्यर्थी को अपना पहचान पत्र (ID Proof)

के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/आधार कार्ड/पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड एवं अन्य वैध दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर (हिन्दी), सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जुनियर नायब नाजिर, सेल अमीन) एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क) के रिक्त पदों हेतु:-

प्रथम भाग लिखित परीक्षा

उक्त सभी पदों हेतु यदि 1 पद के विरुद्ध 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जावेगा, 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंको का एक प्रश्न पत्र सहउत्तर पुस्तिका होगा जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक-एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये चार विकल्प होंगे जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा-निर्देश लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिया जावेगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि 1:30 घंटे की होगी। मुल्यांक में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। 15 गुना से कुछ अधिक आवेदन पत्र होने पर समिति का निर्णय का मान्य होगा। लिखित परीक्षा में प्राविण्य सूची वर्गवार/श्रेणीवार तैयार की जावेगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छटनी हेतु होगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक की गणना प्राविण्य सूची तैयार करते समय नहीं की जायेगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्राविण्य सूची पृथक-पृथक श्रेणीवार/वर्गवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में भर्ती समिति का निर्णय मान्य होगा।

द्वितीय भाग कौशल परीक्षा

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्राविण्यता के क्रम में रिक्त पदों के 15 (पंद्रह) गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर (हिन्दी), सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जुनियर नायब नाजिर, सेल अमीन) एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क) के कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) कौशल परीक्षा हेतु:-

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप् करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप् की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Unicode Font/Kruti dev में ली जावेगी। जो 50 अंक का होगा।

हिन्दी (स्टेनोग्राफर) एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) के पद हेतु:-
हिन्दी (स्टेनोग्राफर) एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप् करना

होगा । डिक्टेसन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप् की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Unicode Font/Kruti dev में ली जावेगी । जो 50 अंक का होगा।

सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार,आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के लिपिक (क्लर्क) के पद हेतु:-

उम्मीदवारों को 5000 की (Key) डिप्रेशन का गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा जो हेडिंग बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप् की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा ।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स (Ubuntu Linus) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Unicode Font/Kruti dev font में ली जावेगी। जो 50अंक का होगा।

3. वाहन चालक, आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर) एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के चपरासी (प्यून) पद हेतु:-

वाहन चालक पद हेतु:-

वाहन चालक के पद हेतु 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जावेगा, 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा लिखित परीक्षा लिये जाने के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा या केवल कौशल परीक्षा भी आयोजित की जा सकेगी। यदि, लिखित परीक्षा आयोजित किया जाता है तो, तो स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंको का एक प्रश्न पत्र सहउत्तर पुस्तिका होगा जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक-एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये चार विकल्प होंगे जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा-निर्देश लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिया जावेगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 1:30 घंटे की होगी। मुल्यांक में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्राविण्य सूची वर्गवार/श्रेणीवार तैयार की जावेगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छटनी हेतु होगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक की गणना प्राविण्य सूची तैयार करते समय नहीं की जायेगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्राविण्य सूची पृथक-पृथक श्रेणीवार/वर्गवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में भर्ती समिति का निर्णय मान्य होगा।

वाहन चालक के पद हेतु कौशल परीक्षा

1. वाहन चालन का परीक्षण लिया जायेगा।
2. वाहन परिचालन में प्रयोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु पूर्णांक 50 अंक रहेंगे।

आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (जलवाहक/चौकीदार/स्वीपर), एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के चपरासी (प्यून) पद के चयन हेतु-

आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (जलवाहक/चौकीदार/स्वीपर), एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के चपरासी (प्यून) पद के चयन हेतु 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लिखित/कौशल परीक्षा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चाम्पा

(छत्तीसगढ़) द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर किया जावेगा। कौशल परीक्षा एक या एक से अधिक चरणों में भी लिया जा सकता है। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को शारारिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं सजगता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जायेगा। कौशल परीक्षा 50 अंक का होगा।

स्टेनोग्राफर(अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर(हिन्दी), सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार,आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन), आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (जलवाहक/चौकीदार/स्वीपर), वाहन चालक एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क), चपरासी (प्यून) हेतु चयन प्रक्रिया की अन्य शर्त:-

1. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जारी विज्ञापन में यदि कोई त्रुटि या विरोधाभास पाया जाता है तो भर्ती समिति का निर्णय मान्य होगा।
2. विज्ञापित सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा के आयोजन उपरांत चयन समिति पृथक-पृथक वर्गवार/श्रेणीवार चयन/प्रतीक्षा सूची तैयार कर बंद लिफाफा में नियुक्तीकर्ता अधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर चाम्पा को प्रेषित करेगी। चयन सूची के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।
3. सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र माना जावेगा।
4. विज्ञापित सभी पदों हेतु प्रतीक्षा सूची 1/3 के अनुपात में जारी किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को चयन किये जाने की स्थिति में भर्ती समिति की अनुशंसा अनिवार्य नहीं होगी।
5. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23मु०म०नि०/2014/1-7 दिनांक 23/08/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जन्मतिथि भी सामान होने पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर (हिन्दी), सहायक ग्रेड-03 संवर्ग (साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जुनियर नायब नाजिर, सेल अमीन) एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क) हेतु स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। उसी प्रकार आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (जलवाहक/चौकीदार/स्वीपर) एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के चपरासी (प्यून) की 8वीं उत्तीर्ण में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़) को होगा।
8. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
9. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध

नहीं किया गया है । जिला चिकित्सालय जांजगीर के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा । कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

10. नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा रीट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन किया जावेगा ।
11. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी ।
12. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चाम्पा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
13. चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
14. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति न्यायिक जिला जांजगीर-चाम्पा के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालयों में की जा सकेगी तथा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा ।
15. उपरोक्त विज्ञापन में दर्शित रिक्त पदों की संख्या किसी भी समय बढ़ाया या कम किया जा सकेगा ।
16. अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आयु भी समान होने पर चयन समिति का निर्णय मान्य होगा।
17. दिव्यांग का पद अस्थी बाधित हेतु आरक्षित है। अतएव अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर ही प्रमाण पत्र पर विचार किया जावेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अन्य आवश्यक सूचनाएं:-

1. कोई अभ्यर्थी यदि स्टेनोग्राफर(अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर(हिन्दी), सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन), कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क) में से दो या सभी पदों के लिए आवेदन करता है, और यदि सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाती है, तो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सभी पद के लिये मान्य होगा, यदि सभी पदों हेतु पृथक-पृथक लिखित परीक्षा आयोजित किया जाता है, तो अभ्यर्थी को सभी पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में पृथक-पृथक सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।
3. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित चयन एवं प्रतीक्षा सूची के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी आवेदन पत्र अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
द्वारा अनुमोदित।



अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति
जिला न्यायालय
जांजगीर-चांपा

आवेदन पत्र का प्रारूप

न्यायिक जिला स्थापना, जांजगीर-चाम्पा के अंतर्गत स्टेनोग्राफर(अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर(हिन्दी), सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जुनियर नायब नाजिर, सेल अमीन), आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर) तथा वाहन चालक एवं कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क संविदा),चपरासी (प्यून) के रिक्त पदों हेतु
(प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें)

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर (छ०ग०)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित,
नवीनतम पासपोर्ट साईज का
रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक
सहित

1. आवेदित पद का नाम
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)-
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (In English Capital Letters).....
4. लिंग पुरुष - महिला -
5. राष्ट्रियता-
6. पिता/पति का नाम
7. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता

(ब) स्थायी पता (वर्तमान पता एवं स्थायी पता यदि समान है तो "तदैव" लिखें)

8. (अ) जन्मतिथि अंको में
- जन्मतिथि शब्दों में
- (ब) दिनांक 01/01/2024 को आयु -वर्ष.....माह.....दिन.....
9. क्या अभ्यर्थी छ०ग० का मूल निवासी है ? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।)
10. क्या अभ्यर्थी छ०ग० का अनुसूचित-जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का है
यदि हां तो वर्ग अंकित करें -
- (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।)
11. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है,यदि दिव्यांग है तो- दिव्यांगता का प्रकार दिव्यांगता का प्रतिशत
- (यदि हां तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
12. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।)
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
14. रोजगार कार्यालय का नाम..... अगला नवीनीकरण दिनांक
15. क्या अभ्यर्थी विवाहित है - हां/नहीं यदि हां तो विवाह दिनांक को आयु.....

16. क्या आवेदक का एक से अधिक जीवित पति/पत्नि है

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक	पूर्णक	प्रतिशत
1							
2							
3							
4							
5							

18. कार्यानुभव विवरण (प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति यदि कोई हो संलग्न करें)

क्र	पद का नाम	संस्था का नाम	नियुक्ति दिनांक	कुल सेवा का वर्ष	रिमार्क
1					
2					
3					

19. क्या अभ्यर्थी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है ? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

20. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

टीप- स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जावेंगे। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// घोषणा पत्र //

मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि, मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि नहीं किया गया है। इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न दस्तावेज मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि जानकारी/दस्तावेज, मिथ्या पाये जाते हैं तो, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किये जाने योग्य होगी। मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांक-

स्थान-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

मोबाईल नं. -

नाम का पूरा नाम-

महत्वपूर्ण निर्देश

विज्ञापन क्रमांक 1232/दो-12-2023, जांजगीर दिनांक 13-07-2023 में विज्ञापित पदों हेतु **शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार था-**

(1) **स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लिये:-**

अ- वेतनमान-छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 07

(रु० 28700-91300)

ब- शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ लिब्रे ऑफिस/एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

(2) **स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद के लिये:-**

अ- वेतनमान - छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 07

(रु० 28700-91300)

ब- शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में अंग्रेजी टायपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ लिब्रे ऑफिस/एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

(3) **सहायक ग्रेड- 03 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक/जुनियर नायब नाजिर/सेल अमीन) के पद के लिये**

अ- वेतनमान - छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मेट्रिक्स लेवल 04

(रु० 19500-62000)

ब- शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ लिब्रे ऑफिस/एम०एस०वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

(8) आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) पद के लिये-

अ- वेतनमान - कलेक्टर जांजगीर द्वारा निर्धारित दर पर ।

ब- शैक्षणिक योग्यता- कक्षा पांचवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

नोट - आवेदित पद से संबंधित कार्य/ड्राईवर, कुक, माली इलेक्ट्रीशियन, बढई एवं प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

संशोधित विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में विज्ञापन क्रमांक 1232/दो-12-2023, जांजगीर दिनांक 13-07-2023 के पालन में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है वे इस संशोधित विज्ञापन में दिये गये शैक्षणिक योग्यता का अवलोकन करें यदि, वे इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि संशोधित विज्ञापन में दिये गये शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं और उक्त संबंध में वांछित दस्तावेज उनके आवेदन के साथ संलग्न हैं तो पृथक से आवेदन पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है उनका पूर्व का आवेदन पत्र मान्य रहेगा। किन्तु पूर्व में जारी विज्ञापन के शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते हो फिर भी आवेदन पत्र प्रेषित किये हो, तो संशोधित विज्ञापन में दिये गये शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करने हेतु पृथक से केवल आवेदन जिसमें पूर्व में प्रेषित आवेदन के अनुसार ही नाम, पिता का नाम एवं पता मोबाईल नंबर लिखा हो प्रस्तुत कर सकते हैं, उक्त दस्तावेज को ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जावेगा और उनका पूर्व में प्रेषित आवेदन मान्य माना जावेगा।

(जैसे- कोर्ट मैनेजर स्टाप हेतु चपरासी(प्यून) संविदा तथा आकस्मिकता निधि हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण था किन्तु संशोधित विज्ञापन में उक्त पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ 8 वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है उन्हें पृथक से 8 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी उनका पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र मान्य रहेगा, किन्तु जो अभ्यर्थी कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है और उनके द्वारा प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये हैं ऐसे अभ्यर्थी केवल 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र पृथक से आवेदन देकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), सहायक ग्रेड- 03, कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिये शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) (संविदा), लिपिक कलर्क (संविदा) के पद हेतु पूर्व में शैक्षणिक योग्यता "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण " था जिसमें परिवर्तन कर संशोधित विज्ञापन में "मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण" किया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनका स्नातक में 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनका स्नातक में 45 प्रतिशत से कम अंक है एवं पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किये हैं तो उनका आवेदन मान्य रहेगा उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।)

पूर्व में एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये हैं और पृथक से दस्तावेज संलग्न करना है तो सभी पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष

भर्ती एवं पदोन्नति समिति
जिला न्यायालय
जांजगीर-चांपा